34

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर

समक्ष – एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1357–तीन/2005 – विरूद्ध – आदेश दिनांक 7–7–2005 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 32/2004–05 अपील

1– रामसेवक 2– रामऔतार
पुत्रगण छबिराम निवासी ग्राम
उदोलपुरा की मढैया तहसील भिण्ड ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– वृन्दावन 2– अनन्तराम
पुत्रगण लोकन वघेल ग्राम
उदोलपुर की मढैया तहसील भिण्ड ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0शर्मा)
(अनावेदकगण के अभिभाषक प्रदीप श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 6–9 –2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 32/04–05 अपील में पारित आदेश दिनांक 7–7–2005 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि सहायक बंदोवस्त अधिकारी भिण्ड ने ग्राम की परिवर्तन पंजी कमांक 103 पर आदेश दिनॉक 17-3-1998 से ग्राम जवासा की भूमि सर्वे कमांक 1349 बंदोवस्त के वाद परिवर्तित नंबर 3592 रकबा 0.41 तथा सर्वे नंबर 1350 बंदोवस्त के वार नंबर 3593 के कुल रकबा 0.65 हैक्टर पर अनावेदकगण के भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि पर आवेदकगण का नाम कब्जेदार के रूप में अंकित करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी भिण्ड के समक्ष अपील कमांक 37/2000-01 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनॉक 28-1-2002 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 32/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-7-2005 से अपील स्वीकार की गई एंव दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

2/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से प्रकरण में देखना यह है कि क्या किसी भूमिस्वामी की भूमि पर संहिता की धारा 115 अथवा 116 के अंतर्गत किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा इन्द्राज किया जा सकता है ?

भू राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) - धारा 115, 116 - इन धाराओं के अधीन अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध किया जा सकता है किसी नये अधिकार की या हित वावत् नई प्रवष्टि नहीं की जा सकती है।

उक्त सम्बन्ध में विद्वान अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 32/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-7-2005 व्दारा विस्तृत विवेचना कर निष्कर्ष निकाले हैं जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुॅजायश नहीं है।

4/ उपरोक्त विवेचना के आधारं पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 32/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 7-7-2005 विधिवत् पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल
मध्य प्रदेश ग्वालियर